

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 99/2017/धौलपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एवं लीजिंग टैक्स,
भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री कैलादेवी ट्रेडर्स,
बसई नबाब, धौलपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री शीतांशु शर्मा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....विभाग की ओर से

श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 16.10.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 326/आरवैट/पाली/2015-16/अ.प्रा./भरतपुर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 05.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एवं लीजिंग टैक्स, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश दिनांक 20.11.2015 में आरोपित शास्ति रूपये 5,66,650/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वृत्त-अ, भरतपुर (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वाहन संख्या UP-83-AT-2220 को लुधावाई टोल प्लाजा के आगे नेशनल हाइवे-11 पर रोक कर चैक किया गया। वाहन को चैक करने पर उसमें परिवहनित माल के दस्तावेज मांगे जाने पर चालक द्वारा जांच अधिकारी को निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :-
 - 1) मै0 गंगा रोड़ लाइन्स शिवाजी गंज मुरैना (म0प्र0) की बिल्टी नं0 424 दिनांक 01.11.2015 (एकल प्रति में) जिसके अनुसार माल का परिवहन निम्बाहेडा से धौलपुर किया जा रहा है।
 - 2) मै0 महेश वेज ऑयल्स प्रा0 लि0 निम्बाहेडा चित्तौडगढ़ (राज0) की वैट इन्वायस नं0 607 दिनांक 01.11.2015 (दोहरी प्रतियों में) जिसके अनुसार टैंकर में रिफाइण्ड एडिबल ऑयल मैसर्स श्री कैलादेवी ट्रेडर्स, धौलपुर बसई नबाब को बिक्री किया गया है।

31

- 3) खाली कागज पर पर्ची नं0 75 दिनांक 01.11.2015 जिस पर टैकर संख्या UP-83-AT-2220 अंकित है तथा टैकर में लोड किये गये माल का विवरण हाथ से लिखा हुआ है।
3. वक्त चैकिंग वाहन चालक ने कथन किया कि उक्त माल ऊंचा नगला रूपवास होकर बिना रूके बसई नबाब (धौलपुर) ले जायेगा। इस पर जांच अधिकारी द्वारा वैट इन्वॉयस की एक प्रति रिकॉर्ड हेतु लेकर मूल प्रति को हस्ताक्षरित कर वाहन चालक को दस्तावेज लौटा दिये तथा वाहन को जाने की अनुमति दी गई। वाहन चालक द्वारा टैकर को बिना वैट प्रपत्र 49/49ए के राज्य के बाहर उत्तरप्रदेश ले जाने की आशंका होने पर टैकर का पीछा किया गया तथा टैकर को अछनेरा रोड़ भरतपुर पर उत्तरप्रदेश की ओर जाते हुए पुनः जांच अधिकारी द्वारा चैक किया गया। जांच के पश्चात पाया गया कि माल का परिवहन राज्य से बाहर उत्तरप्रदेश अंतर्राज्यीय बिक्री (Inter State Sale) के क्रम में किया जा रहा है जबकि दस्तावेज राज्य के बिक्री के तैयार किये गये थे जिसके कारण वाहन को निरूद्ध किया गया। उक्त संबंध में जांच अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस का जवाब पेश किया गया जिससे असंतुष्ट होते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति 5,66,650/- रुपये आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति राशि को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि माल का परिवहन राज्य से बाहर उत्तरप्रदेश अंतर्राज्यीय बिक्री (Inter State Sale) के क्रम में किया जा रहा था, जबकि दस्तावेज राज्य की बिक्री के तैयार किये गये थे। चूंकि परिवहनित माल को बिना वैट प्रपत्र 49/49ए के राज्य के बाहर उत्तरप्रदेश ले जाया जा रहा था जिसके कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण विधिक रूप से किया गया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताया एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वर्ष 2012-13 से अब तक पेश किए गए वैट 10ए व वैट 10 के आधार पर रुपये 8,57,44,206/- का पण्यावर्त इन विवरण पत्रों में घोषित पाया गया, अतः विभाग की यह दलील कि व्यवसायी अस्तित्व में

31

नहीं है पूर्णतः आधारहीन है। जहां तक बसई नबाब जाने के रूट अथवा मार्ग का प्रश्न है इस बाबत प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष नक्शा भी बनाकर दिया गया था जिसमें भरतपुर से बसई नबाब जाने के तीन मार्ग बताये गये हैं :-प्रथम, रूपवास होता हुए, जो 73 किमी है, दूसरा अछनेरा होता हुआ जो 56 किमी है व तीसरा फतेहपुरसीकरी होता हुआ जो 60 किमी है। उक्त वाहन सबसे छोटे रूट पर पाया गया एवं रूट के विकल्प चुनने या घोषणा करने का कोई प्रावधान नहीं है। टैंकर सबसे छोटे रूट से जाते हुए पाया गया और जहां तक उत्तरप्रदेश जाने का प्रश्न है तो बसई नबाब जाने के लिये तीनों मार्गों से उत्तरप्रदेश बीच में आएगा ही। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि माल के साथ जो दस्तावेज पाए गए हैं उन्हें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत साबित नहीं किया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में परिवहनित माल के सम्बन्ध में जो दस्तावेज पेश किये गये थे वे राज्य के भीतर ही माल परिवहन के थे, जो निम्बाहेड़ा से बसई नबाब, धौलपुर के लिये बनाये गये हैं। जांच अधिकारी को यह संदेह था कि वाहन अपने घोषित गंतव्य बसई नबाब न जाकर माल उत्तर प्रदेश राज्य में खाली करेगा जिसके सम्बन्ध में उन्होंने वाहन को प्रथम बार चैक किये जाने पर वाहन चालक द्वारा दी गई जानकारी के पश्चात वाहन के गंतव्य के सम्बन्ध में संदेह होने पर वाहन का पीछा कर उसे घोषित गंतव्य के लिये पूर्व में बताये मार्ग से न जाकर दूसरे व वैकल्पिक मार्ग से जाते हुए पाये जाने पर यह निष्कर्षित किया कि माल अंतर्राज्यीय व्यापार क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य को ले जाया जा रहा था एवं कि प्रस्तुत दस्तावेज मिथ्या एवं कूटरचित थे। विक्रेता व्यवहारी के यहां जांच करवाये जाने पर जारी बिल के सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी परन्तु प्रेषिती व्यवहारी के घोषित गंतव्य पर दुकान बन्द पाई गई थी जहां नियमित रूप से कोई व्यापार होने के कोई प्रमाण नहीं पाये गये थे।
7. प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरणाधीन परिवहनित किये जा रहे माल के घोषित गंतव्य स्थल तक जाने के लिये तीन रास्ते उपलब्ध होने का उल्लेख किया गया है तथा सबसे छोटे रास्ते (shortest route) से वाहन जाते हुए पाया गया है। अपीलीय अधिकारी की पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा पेश किया गया एक नक्शा (map) भी उपलब्ध है जिसमें घोषित गंतव्य 'बसई नबाब' जाने के लिये तीनों मार्गों को रेखांकित/चिन्हित किया गया है तथा इन तीनों ही मार्गों से जाने पर उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में से होकर ही गुजरना पड़ता है। द्वितीयतः, यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वाहन चालक का गांव निकट ही उत्तरप्रदेश राज्य की सीमा

३

में स्थित है तथा वाहन चालक ने अपने गांव होते हुए घोषित गंतव्य तक जाने के कारण पूर्व में जांच अधिकारी के समक्ष प्रथम जांच के समय बताये गये रूट से भिन्न रूट से जाने का कारण अपने शपथ पत्र में उल्लिखित किया है। तृतीयतः, अपीलीय अधिकारी की पत्रावली पर प्रेषिती व्यवहारी के बिक्री विवरण पत्र भी उपलब्ध हैं जिनमें खरीद बिक्री घोषित है, जो वर्ष 2013-14 में रुपये 3.50 करोड़ घोषित है। वर्ष 2014-15 के II, III एवं IV त्रैमासों के बिक्री विवरण पत्रों VAT 10 में टर्नओवर क्रमशः रुपये 41.29 लाख, रुपये 68.07 लाख तथा रुपये 54.19 लाख की बिक्री घोषित है। इसी प्रकार जांच पूर्व के दो त्रैमासों - वर्ष 2015-16 के प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास में टर्न ओवर रुपये 65.82 लाख तथा रुपये 49.90 लाख घोषित है। इन बिक्री विवरण पत्रों में घोषित टर्नओवर से जांच अधिकारी का यह आक्षेप गौण हो जाता है कि घोषित गंतव्य स्थल पर कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं पाई गई थी। इन बिक्री विवरण पत्रों में प्रत्यर्थी का पता मानिया रोड़, धौलपुर अंकित है, अतः जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी को विभागीय रिकॉर्ड से यह जांच भी करनी चाहिये थी क्या गांव बसई नवाब में उसकी कोई ब्रांच घोषित भी है अथवा नहीं। यदि प्रेषिती व्यवहारी की कोई ब्रांच 'बसई नवाब' में घोषित नहीं पाई जाती तो जांच अधिकारी का यह निष्कर्ष पुष्ट हो सकता था कि प्रस्तुत दस्तावेजों में गलत घोषणा की गई थी, परन्तु ऐसा नहीं पाये जाने से कर निर्धारण अधिकारी के इस निष्कर्ष को मान्य किया जाना संभव नहीं है।


8. एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत बिक्री बिल में राजस्थान राज्य का कर VAT @ 5% चार्ज किया हुआ है तथा विक्रेता के यहां जांच में इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी, तो ऐसी दशा में करवंचना की संभावना भी प्रकट नहीं होती है क्योंकि माल अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में "सी" फार्म के समर्थन में बेचे जाने की दशा में इस पर CST @ 2% देय है तथा बिना "सी" फार्म के अन्तर्राज्यीय विक्रय की दशा में राज्य में देय कर की दर अर्थात् 5 प्रतिशत ही कर देय था, तो ऐसी दशा में प्राथमिक तौर पर करवंचना का motive भी परिलक्षित नहीं होता है।
9. प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन से जाहिर है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुख्ता संदेह के आधार पर शास्ति आरोपण किया गया है न कि पुख्ता सबूतों के आधार पर। माननीय उच्चतम न्यायालय ने State of Kerala Vs M.M. Mathew & Anr. (1978) 42 STC 348(SC) में यह टिप्पणी की है कि :-

"It is now well-settled that strong suspicion, strange coincidences and grave doubts cannot take the place of legal proof. To establish the charges against the respondents, it was, in our judgment, essential for the prosecution to

21

establish that the secret books of account related to the business transactions carried on by the respondents and none else."

10. प्रस्तुत प्रकरण में चूँकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के दस्तावेजों को कूटरचित एवं मिथ्या माना गया है जो गहन संदेह (strong doubt) पर अधिक एवं प्रामाणिक साक्ष्यों पर कम आधारित है। अतः परिस्थितिगत संदेहों के आधार पर जो शास्ति आरोपण किया गया है उनके सम्बन्ध में पर्याप्त प्रामाणिक साक्ष्य नहीं होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा जो शास्ति अपास्त की गई है, वह इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थिति के मद्देनजर उचित प्रतीत होती है, अतः अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य पाया जाता है।
11. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
12. निर्णय सुनाया गया।


16.10.2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य